तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धन्नो सिंह V/s राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/8/24 को पेश हो। sd/-	
29/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रा० है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। sd/- उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 06/2023

1. घमण्डी सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पीपरी तहसील बयाना।

....................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः– 29/8/24

प्रार्थी के अभिभाषक ने यह प्रार्थना पत्र भू–प्रबन्ध अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि गांव पना तहसील उच्चैन की जमाबन्दी सम्बत् 2075–2078 के नया खाता संख्या 124 में दर्ज अराजी में 89/500 का व नया खाता संख्या 127 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का तथा नया खाता संख्या 128 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का तथा खाता संख्या 129 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का तथा खाता संख्या 131 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का व खाता संख्या 132 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का एंव खाता संख्या 130 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का व खाता संख्या 658 में दर्ज आराजी में 2/135 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का सही नाम घमण्डी सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पीपरी तहसील बयाना है और प्रार्थी का यही सही नाम गांव पना में स्थित आराजी खाता संख्या 125,126 में दर्ज हो रहा है। खाता संख्या 124,127,128,129,131,132 में प्रार्थी का नाम घमण्डी के स्थान पर सूखा दर्ज हो रहा है एवं निवास गांव पीपरी तहसील बयाना के स्थान पर गांव मडरपुर तह0 भरतपुर गलत दर्ज कर दिया गया है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। एवं खाता संख्या 130 व 658 में प्रार्थी का निवास गांव पीपरी तहसील बयाना के स्थान पर गांव मडरपुर तहसील भरतपुर दर्ज कर दिया है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम घमण्डी पुत्र रामस्वरूप ही दर्ज है। प्रार्थी के गांव पना की आराजी में गलत नाम एवं गांव दर्ज होने के कारण प्रार्थी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी रोकार सरकार के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई मुताबिक रिपोर्ट खाता संख्या 24,127,128,129,131,132 पर अंकित सूखा पुत्र रामस्वरूप रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये आया है एवं निवासी मडरपुर तहसील भरतपुर अशुद्ध हुआ है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न जमावंन्दी एवं अन्य सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थी का सूखा नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आया है जिसको धारा 136 एल.आर.ए. के तहत शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं प्रार्थी के निवास में हुई अशुद्धि को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम पना में जमावन्दी संख्या 2075–2078 में खाता संख्या 124,127,128,129,130,131,132 एवं 658 में प्रार्थी के गांव का नाम गांव मडरपुर तहसील भरतपुर के स्थान पर गांव पीपरी तहसील बयाना शुद्ध किया जावे। तहसीलदार उच्चैन को इस बाबत् कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

vish
विष्णु बंसल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर